

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्र./आर/संपदा/2022/1511

02 मई 22

// कार्यालयीन आदेश //

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति से विश्वविद्यालय के समस्त आवासीय परिसर में निवासरत शिक्षको/अधिकारियो/कर्मचारियो से Conservancy (सफाई कर) 130.00 प्रतिमाह देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (प्र.) 2/5/2022

प्रतिलिपि—:

1. समस्त आवासीय परिसर में निवासरत शिक्षको/अधिकारियो/कर्मचारियो को सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री को सूचनार्थ।
4. उप यंत्री सिविल/जूनियर इंजीनियर विधुत को सूचनार्थ।
5. कुलपति जी के निज सचिव को सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सचिव को सूचनार्थ।
7. प्रभारी विश्वविद्यालय वेब साइट सूचना के प्रकाशन हेतु।

संपदा अधिकारी

संपदा अधिकारी
डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर म.प्र.